न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट सकट)

वाद संख्या :– 02 / 260 / 2014

जगदीश बनाम रामप्रसाद वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 14.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट सकट पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.11.2014 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1282 / 0.15, 1283 / 0.05 है. वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 12.01.2015 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगा 3 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जवाब व हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2062–65 का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2062–65 खाता संख्या 464 में अंकित इन्द्राज से प्रथम दृष्टया आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना साबित नहीं है इसलिए प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति प्रथम दृष्टया केस व प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1282 / 0. 15, 1283 / 0.05 है. वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 07.11.2014 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 कैम्प कोर्ट सकट पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट सकट)